न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

वहक श्री भिमसिंह / ईश्वरसिंह
पुत्र श्री
जाति राजपूत नि. शील भकरी

मुकदमा नं. 8 / 2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शील भकरी खसरा नम्बर 441, 366, 342, 340, 338, 339, 333 रकबा 1.41 हैक्टर किस्म गै. मु. (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री भिमसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी शील भकरी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा खेत काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी के नोटिस परिवार के सदस्य से तामिल करवाया जो शामिल मिसल है अप्रार्थी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शील भकरी खसरा न. 441, 336, 342, 340, 338, 339, 333 रकबा 1.41 किस्म गै. मु. पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर .... कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रुपया 84 प्रति है. का 50 गुणा रूपया 4203 रु (रूपये चार हजार दो सौ तीन रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
पां.अ.जा. .... के पृष्ठ स. 54
पर ... 4203/– रु० का
... की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner